संख्या– /XXXVI(2)/25/66–दो(8)/2011

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक मार्च, 2025

विषय– केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत 'जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय के भवन निर्माण कार्यों' के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1402/U.H.C/Admin.B/IX.b/2024 दिनांक 04 मार्च, 2025 के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत **'जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय भवन का निर्माण कार्यों'** हेतु कार्यदायी संस्था एन0बी0सी0सी0 (इंडिया) लि0 जोनल इन्चार्ज, उत्तराखण्ड जोन, देहरादून द्वारा गठित संशोधित विस्तृत आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा कुल औचित्यपूर्ण संस्तुत लागत रू0 1961.35 लाख (व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 1961.35–10.86=1950.49 लाख अनुमोदित) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्तानुसार धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–128 दिनांक 18.12.2013 द्वारा रू0 100.00 लाख की स्वीकृत धनराशि को कम/समावेशित करते हुए कुल अवशेष निर्धारित धनराशि रू0 18,50,49,000/– (केन्द्रांश (90%) रू0 16,65,44,100/–व राज्यांश (10%) रू0 1,85,04,900/–) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40% की निर्धारित कुल धनराशि रू0 740.1960 लाख, जो शासनादेश संख्या–100/XXXVII/24/66–दो(8)/2011 दिनांक 19.01.2024 द्वारा रू0 1,60,00,000/– (केन्द्रांश रू0 1,44,00,000/–व राज्यांश रू0 16,00,000/) की धनराशि तथा शासनादेश संख्या–130/XXXVII/24/66–दो(8)/2011 दिनांक 13.02.2024 द्वारा रू0 580.1960 लाख (केन्द्रांश रू0 522.1764 लाख व राज्यांश रू0 58.0196 लाख) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार कुल निर्धारित केन्द्रांश रू0 16,65,44,100/– के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 6,66,17,640/– तथा कुल निर्धारित राज्यांश 1,85,04,900/– के सापेक्ष राज्यांश रू0 74,01,960/– की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

2– अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है केन्द्र पोषित (CSS) 'न्यायिक कार्यों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास' योजनान्तर्गत **'जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय भवन का निर्माण कार्यों'** हेतु उपरोक्तानुसार कुल अवशेष निर्धारित धनराशि रू0 18,50,49,000/– (केन्द्रांश, रू0 16,65,44,100/–व राज्यांश रू0 1,85,04,900/–) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40% के आधार पर उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों के द्वारा कुल स्वीकृत की गई धनराशि रू0 7,40,19,600/– (केन्द्रांश रू0 6,66,17,640/– व राज्यांश रू0 74,01,960/–) को कम/घटाते हुए द्वितीय किश्त के रूप में वर्तमान में रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्तानुसार **रू0 3,50,00,000/– (केन्द्रांश रू0 3,15,00,000/– व राज्यांश रू0 35,00,000/–)** की धनराशि को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में पत्र

संख्या–J–11017/35/2015–JR (e-566/7535) दिनांक 04.10.2024 द्वारा केन्द्रांश की तृतीय किश्त की आवंटित धनराशि रू0 30,00,00,000/– तथा तद्नुसार राज्यांश की धनराशि रू0 3,33,33,333/– इस प्रकार केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रू0 33,33,33,333/–, जो शासनादेश संख्या–1273/XXXVI(2)/24/24बज़ट/2021 दिनांक 10.10.2024 तथा शासनादेश संख्या–1271/XXXVI(2)/24/24बज़ट/2021 दिनांक 23.10.2024 द्वारा महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के नाम से मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में खुले बैंक बचत खाता संख्या 40331485048 CIF No. 90791827711 (Single Nodal Account) में अन्तरित की गयी है, में से उपरोक्तानुसार रू0 3,50,00,000/– (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि उपरोक्त उल्लिखित कार्य/प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. भारत सरकार द्वारा PFMS की निर्गत पुनरीक्षित प्रक्रियानुसार व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 व विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या J-11017/35/2015-JR (e-566/7535) दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रदत्त समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1273/XXXVI(2)/24/24बज़ट/2021 दि0 10.10.2024 तथा शासनादेश संख्या–1271/XXXVI(2)/24/24बज़ट/2021 दि0 23.10.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन हेतु विस्तृत आगणन/मानचित्र प्रस्तावित ड्राईंग एवं किये गये प्राविधानों का सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय व उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
4. आंगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
5. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

9. निर्माण कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।
11. निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाये कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त की एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध कराये जायेगी।
13. निर्माण कार्यों के संबंध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
14. स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्वि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर अनुबन्ध अथवा व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है।
15. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित कराया जाय।
16. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाय।।
17. योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करते हुए भवनों की स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।
18. कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेंगी।
19. विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य M.O.U के संबंध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/ 2008 दिनांक 15.12.2008 व शासनादेश संख्या 571/ XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा शासनादेश संख्या 426/ XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
20. भवन का निर्माण स्थानीय/क्षेत्रीय वास्तुकला के अनुसार किया जाय।
21. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्राविधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यो के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
22. परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय

विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युतीकरण के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाय।

23. कार्य कराये जाने से पूर्व स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय।
24. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।
25. प्रश्नगत कार्य के संबंध में विभागीय व्यय समिति तथा वित्त व्यय समिति की बैठक में प्रदत्त सभी निर्देशों/निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
26. प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव के अन्तर्गत यथानिर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
27. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 12-03-2025 15:24:35

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XXXVI(2)/25/66–दो(8)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री यशस्वी कुमार, निदेशक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, भारत सरकार जैसलमेर हाऊस, 26–मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011 ।
4. जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार उत्तराखण्ड।
7. बज़ट अधिकारी/वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0/राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. नोडल अधिकारी (न्याय विकास पोर्टल)/वरिष्ठ स्टाफ् ऑफिसर– II, कार्यालय–प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कॉलोनी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्य/योजना के संबंध में डाटा फीडिंग/जियो टेगिग आदि कार्य पूर्ण कराते हुए तद्नुसार शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
10. महाप्रबन्धक, एन0बी0सी0सी0 (इंडिया) लि0 जोनल इन्चार्ज, उत्तराखण्ड जोन, 29सी–राजपुर रोड, अपोजित–सैन्ट जोजफ एकेडमी, देहरादून।

11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajesh Kumar Vyas
Date: 12-03-2025 15:29:37

(राजेश कुमार)
संयुक्त सचिव।